फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

चांदी बनाम वेणी शर्मा (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111-128 नं० 121 सन 2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.8.23	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 21-9-23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एव सहायक कलक्टर माण्डल	
21/9/23	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा स्थगित कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 26/9/23 को पेश हो।	
26/9/23	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा स्थगित कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 29/9/23 को पेश हो।	
29/9/23	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा स्थगित कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 17/10/23 को पेश हो।	
17/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिन्हें शामिल किये गये। विपक्षीगण को तीन बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर निम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 121/23 प्रा० पत्र

1– चाँदी D/o बालुदास बैरागी निवासी- घोड़ास तहसील - मांडल [वगैरा]

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री बंशी s/o भैरूलाल शर्मा निवासी- घोड़ास तहसील माण्डल [वगैरा]
(पृष्ठांकित प्रा० पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांक– 17-10-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि 1956 के तहत परस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम घोड़ास पटवार हल्का घोड़ास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 469 कुल किता 01 रकबा 0.1518 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतादायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08-08-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का आवश्यकी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम घोड़ास पटवार हल्का घोड़ास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न 469 कुल किता 01 रकबा 0.1518 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक पीपास को 500/- रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा